प्रेस नोट- थाना रोजा

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 14-11-2026

थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी की घटना का 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को चोरी के ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित किया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रोजा के नेतृत्व में चिन्हित अपराधियों की गिरफ्तारी, वांछित/वारण्टी एवं जिला बदर अपराधियों की तलाश, अवैध शराब एवं शस्त्र तथा अफीम/चरस की बिक्री एवं निर्माण की रोकथाम, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं गश्त हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रोजा पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 13.11.2026 को वादी मुकदमा श्री नौशाद पुत्र इकरार निवासी ग्राम बेला परछिया थाना मोहम्मदी जनपद लखीमपुर खीरी की तहरीर के आधार पर थाना रोजा पर मु0अ0सं0 512/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। वादी द्वारा रोजा मंडी में धान बेचने हेतु ट्रैक्टर-ट्रॉली रजि0 नं0 UP78BL6995 से आने तथा धान बेचने के उपरांत अज्ञात चोर द्वारा ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी कर ले जाने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी। उक्त घटना के अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में थाना स्तर पर पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित पुलिस टीमों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना का 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण किया गया तथा अभियुक्त आनंद पुत्र शेर बहादुर सिंह निवासी ग्राम बचगवां थाना उचौलिया जनपद लखीमपुर खीरी उम्र 38 वर्ष को दिनांक 14.11.2026 को समय 13:18 बजे मोहल्ला निवाजपुर के पास स्थित रेलवे ग्राउंड से चोरी किए गए सोनालिका ट्रैक्टर DI-35 SC, मॉडल 2007/1, इंजन नं0 3097FL72I126255 एवं चेसिस नं0 SY125782/1A मय ट्रॉली सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

आनंद पुत्र शेर बहादुर सिंह निवासी बचगवां थाना उचौलिया जनपद लखीमपुर खीरी उम्र 38 वर्ष

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान:-

दिनांक 14-11-2026 को समय 13.18 बजे, मोहल्ला निवाजपुर के पास स्थित रेलवे ग्राउण्ड के पास

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

अं0सं0 512/2026 धारा 303(2),317(2) BNS थाना रोजा शाहजहाँपुर।

बरामदगी का विवरण:-

सोनालिका ट्रैक्टर DI-35 SC 2007/1 इंजन न0-3097FL72I126255 तथा चेसिस न0-SY125782/1A मय ट्राली

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त आनंद उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसे नशे के लिए पैसों की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से वह रोजा मंडी के आसपास घूम रहा था। रोजा मंडी गेट पर उसे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी दिखाई दी, जिस पर कोई चालक मौजूद नहीं था। इस पर उसने ट्रैक्टर-ट्रॉली को चोरी कर कहीं बेचने की योजना बनाई तथा पास में पड़े लोहे के तार की मदद से ट्रैक्टर को स्टार्ट कर वहां से लेकर चला गया। इसके बाद वह बाईपास होते हुए हरदोई रोड की ओर चला गया, लेकिन काफी दूर जाने के बाद उसे अपने घर की ओर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला, जिस कारण वह वापस लौट आया। अभियुक्त ने बताया कि वह ट्रैक्टर-ट्रॉली को छिपाकर इधर-उधर खड़ा करते हुए घर ले जाने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस टीम द्वारा उसे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष श्री उमेश कुमार मिश्र, थाना रोजा, शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 प्रदीप कुमार,थाना रोजा, शाहजहाँपुर
3. हे0का0 आशाराम थाना रोजा शाहजहाँपुर ।
4. का0 विशाल अष्टवाल थाना रोजा शाहजहाँपुर ।
5. का0 मनीष शर्मा थाना रोजा शाहजहाँपुर ।